प्राथमिकता/समयबद्ध

अर्द्ध.प.सं. 444 /168–वा.जि.यो./रा.यो.आ./2016–17

देहरादूनः दिनांक 10 अप्रैल 2017

एस0 रामास्वामी
मुख्य सचिव।

राज्य योजना आयोग
उत्तराखण्ड

प्रिय महोदय,

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007, एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की जिला योजना सरंचना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। जिला योजना संरचना का कार्य बजट प्रक्रिया से पूर्व पूर्ण कर लिया जाय। जनपद की जिला योजना तैयार करने से पूर्व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं नगर निकायों की विकास योजनायें संरचित होंगी और उन्हीं के आधार पर जनपद की विकास योजना तैयार की जायेगी। वर्ष 2017–18 की जिला विकास योजना में प्रथमतः चालू/अधूरे कार्यों तथा दैवीय/प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुर्ननिर्माण/मरम्मत सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण किया जाय ताकि जनसामान्य को योजनाओं का अपेक्षित लाभ सुनिश्चित हो सके। जिला विकास योजना तैयार किये जाने में विशेष रूप से निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:–

1. जनपदों के जिला योजना का आकार निर्धारण राज्य के संसाधनों से आवंटित धनराशि तथा जिला पंचायत एवं नगर निकायों के आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ते हुए किये जाने की व्यवस्था है और इस प्रकार उभरकर आये संसाधनों की सीमा तक ही जनपदों द्वारा विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार में नीति आयोग के गठन के पश्चात वर्ष 2015–16 से राज्य की वार्षिक योजना संरचना का कार्य नहीं किया जा रहा है। वार्षिक योजना संरचना न होने के कारण अब परिव्यय की अवधारणा भी समाप्त हो गई है। अतः राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसार जिला योजना का आकार ₹ 70208.65 लाख निर्धारित किया गया है। जनपदों द्वारा राज्य के संसाधनों से वित्त–पोषित की जाने वाली योजनाओं के प्रस्ताव निर्धारित धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखे जायेंगे।

2. त्रिस्तरीय पंचायतों से प्राप्त योजनाओं को समेकित करने और उनसे उभरकर आने वाले कार्यों को संकलित करने का कार्य अत्यन्त दुरूह है, इसलिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये प्लान–प्लस साफ्टवेयर का उपयोग भी किया जाये। इस साफ्टवेयर के उपयोग हेतु एन0आई0सी0 के जनपद स्तरीय अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाये।

3. यह आवश्यक है कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों अथवा नगर निकायों को अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली निधियों को संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों को चिन्हित कर विभागवार वर्गीकृत योजनाओं का अंग बनाया जाये, ताकि उनका वित्त–पोषण हो सके। जिला योजनाओं के लिए वर्गीकृत योजनाओं में अनुमन्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सामान्यतः जिला विकास योजना में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अपरिहार्य/विशिष्ट परियोजनायें/कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं तो उन्हें योजना में यथा स्थान पृथक से जिला योजना समिति की संस्तुति के साथ निरूपित किया जायेगा। जिला योजना के अन्तर्गत उभर कर आये कार्यों को वर्गीकृत योजनाओं का ही अंग बनाया जाय। **जनपद/विभाग विशेष की मांग के अनुरूप प्रस्तावित किसी कार्य के लिए पृथक से मद का सृजन किया जाना उचित नहीं होगा। इससे भविष्य में योजनाओं के अनुश्रवण किये जाने में कठिनाई होगी।**

4. विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन कर उनका दोहन एवं डवटेलिंग करते हुए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा, ताकि मनरेगा से हो सकने वाले कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध प्राविधान से व्यवस्था हो सके। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि किन–किन कार्यों में मनरेगा की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

5. 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रपोषित योजनाओं के फण्ड्रिग पैटर्न में भारी बदलाव किया गया है और लगभग 33 योजनाओं में केन्द्रांश मदों में 50% तक कटौती की गयी है। साथ ही केन्द्रीय बजट में सामान्य केन्द्रीय सहायता (NCA), विशेष योजनागत सहायता (SPA) तथा विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग द्वारा राज्य के आयोजनेत्तर राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति मद में भी कोई धनराशि संस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में राज्य के वित्तीय व्यवस्था पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। अतैव सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर केन्द्रपोषित योजनाओं से भी जिला योजनाओं के लिए धनराशि डवटेलिंग की जायेगी।

6. राज्य सरकार की नीतियों/प्राथमिकताओं को मध्यनजर रखते हुए वर्ष 2017–18 की वार्षिक जिला योजना में ग्रामीण स्वच्छता/शौचालय निर्माण एंव नगरीय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था/अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता होगी।

7. विकास योजना तैयार करने विषयक कार्य को सुगमतापूर्वक सम्पादित करने के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का विवरण संलग्नक–3 (क) में दिया गया है, जो जनपदों में पहले से ही उपलब्ध है। मार्ग निर्देशों के आलोक में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जनपद के नगरीय निकायों की विकास योजनायें समयबद्ध तैयार किया जाना आवश्यक है।

8. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की विकास योजना हेतु पंचायतीराज विभाग के सम्बंधित अधिनियमों एवं शासनादेशों तथा नगरीय निकायों की विकास योजना के लिए नगर विकास विभाग के अधिनियमों एवं शासनादेशों में की गयी व्यवस्था को भी संज्ञान में लिया जायेगा।

9. राज्य के संसाधनों से वित्त पोषित योजनायें जो जनपद की जिला विकास योजना का अंग होंगी। समस्त विभागों की जिला योजनायें कोड सहित वर्गीकृत किये जायें। सामान्यतः इन्हीं योजनाओं को जनपद की विकास योजना में समाहित किया जायेगा। जब तक कि अन्य किसी योजना के सम्बन्ध में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश न दे दिये जायें।

10. **उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 के धारा–13 (1)** में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2014–15 से जनपदवार अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सम्यक् विनियोग के पश्चात एकमुश्त धनराशि जनपदों को आंवटित की जा रही है। अतः बजट प्रक्रिया से पूर्व योजना संरचना का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। अनुमोदित विकास योजना की प्रति शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

11. जनपद स्तर पर स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को अभिज्ञानित कर प्राथमिकता दी जायें, जिनमें धनराशि व्यय करने से अल्प अवधि में त्वरित विकास की सम्भावनायें प्रबल हों, गरीबी व बेरोजगारी आदि समस्याओं के निदान में सहायक हों एवं अन्य स्रोतों से संसाधन प्राप्त हो सकें और अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जा सके। योजनावार प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष लक्ष्यों का निर्धारण अवश्य सुनिश्चित किया जाय। ताकि जनसामान्य को योजनाओं का अपेक्षित लाभ समयबद्ध मिल सके। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन करते समय योजना का विस्तृत समीक्षात्मक मूल्यांकन (वित्तीय/भौतिक) किया जाना लाभप्रद होगा और उससे योजनाओं का अनुकूलतम एवं अधिकतम लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था हो सकेगी। विभिन्न विकास कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एवं राज्य की नीतियों एवं

प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास को वरीयता प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिला विकास योजना में सम्मिलित किये जाने वाले अध्यायों और अन्य आधारभूत सूचनाओं, जिनका विवरण विगत वर्षों में प्रेषित संलग्नक–3 (क से घ) में दिया गया है, का समावेश किया जायेगा ताकि उससे जनपद की और क्षेत्र विशेष की स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः अनुरोध है कि कृपया वर्ष 2017–18 की जिला विकास योजना संरचना का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये। योजना संरचना में यदि कोई ऐसी कठिनाई आये, जिसका निराकरण जनपद स्तर पर सम्भव न हो, ऐसे बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) से सम्पर्क किया जाये। जिला विकास योजना संरचना का कार्य माह अप्रैल, 2017 तक सम्पादित करते हुए राज्य योजना आयोग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)

भवनिष्ठ

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

अर्द्ध.प.सं. 444/168–वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 तद्दिनांकित

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि समस्त विकास विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, कृपया राज्य सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत जनपद में सम्भावित निवेश का आंकलन देते हुए जिला सेक्टर में कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए विस्तृत विभागीय मार्ग–निर्देश तत्काल ज़िलों को जारी कर, राज्य योजना आयोग को उसकी दो प्रतियां उपलब्ध करा दी जायें:–

1. विभागीय योजनाओं के सम्बंध में नीति, प्राथमिकतायें एवं लक्ष्य।
2. प्रत्येक योजना में सम्मिलित कार्यों का संक्षिप्त विवरण, स्वरूप तथा वित्तीय एवं भौतिक मानक।
3. केन्द्र पुरोनिधानित एवं संसाधनों से सम्बद्ध कार्यक्रमों की जिलावार वित्तीय आवश्यकता।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

अर्द्ध.प.सं. 444/168–वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 तद्दिनांकित

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास एवं प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विकास योजनाओं के सम्बंध में विभागीय अधिनियमों एवं शासनादेश के आलोक में आवश्यक निर्देश जिलों को जारी कर, राज्य योजना आयोग को उसकी दो प्रतियां उपलब्ध करा दी जायें।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

अर्द्ध.प.सं. 444/168–वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः–

1. समस्त निजी सचिव, मा0 प्रभारी मंत्रीगण, जिला योजना समिति, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, समाज कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप जनपदवार प्रस्तावित धनराशि तथा दिशा–निर्देश जनपदों का शीघ्र जारी करें। मानकों के अनुसार जनपदवार प्रस्तावित धनराशि के प्रति वित्त विभाग को भी उपलब्ध करा दें।
4. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नैशविला रोड़, देहरादून।
7. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, पौड़ी/हल्द्वानी।
8. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उत्तराखण्ड।
9. नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।
10. नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में जनपदवार बजट/स्वीकृति/व्यय का विवरण
31 मार्च, 2018

(धनराशि करोड ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	बजट प्राविधान	वित्तीय स्वीकृति	व्यय	बजट प्रावधान के सापेक्ष स्वीकृति का प्रतिशत	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	नैनीताल	35.10	35.10	34.76	100.00	99.03
2	ऊधमसिंह नगर	37.10	37.10	35.28	100.00	95.09
3	अल्मोडा	37.38	37.38	36.83	100.00	98.53
5	बागेश्वर	29.82	29.82	29.82	100.00	100.00
4	पिथौरागढ	35.89	35.89	34.51	100.00	96.15
6	चम्पावत	29.18	29.18	28.57	100.00	97.91
7	देहरादून	49.74	49.74	41.59	100.00	83.61
8	पौडी गढवाल	60.00	60.00	52.47	100.00	87.45
9	टिहरी गढवाल	47.61	47.61	43.99	100.00	92.40
12	रूद्रप्रयाग	29.08	29.08	28.74	100.00	98.83
10	चमोली	37.14	37.14	36.58	100.00	98.49
11	उत्तरकाशी	38.28	38.28	36.08	100.00	94.25
13	हरिद्वार	33.68	33.68	33.68	100.00	100.00
	योग	**500.00**	**500.00**	**472.90**	**100.00**	**94.58**

जिला योजना 2017–18 हेतु
जनपदवार प्रस्तावित धनराशि का आवंटन

संलग्नक–1

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2016–17 हेतु बजट प्राविधान	वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित धनराशि
1.	नैनीताल	5122.67	4928.64
2.	ऊधमसिंहनगर	5194.00	5209.48
3.	अल्मोड़ा	5233.20	5249.13
4.	पिथौरागढ़	5025.07	5040.16
5.	बागेश्वर	4174.80	4186.91
6.	चम्पावत	4085.19	4097.71
7.	देहरादून	6963.60	6984.52
8.	पौड़ी	8400.00	8425.04
9.	टिहरी	6664.93	6684.69
10.	चमोली	5199.60	5215.26
11.	उत्तरकाशी	5359.20	5374.68
12.	रूद्रप्रयाग	4071.19	4083.67
13.	हरिद्वार	4715.20	4728.76
	योग	**70208.65**	**70208.65**